(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1897–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील पिपलोदा जिला रतलाम, प्रकरण कमांक 06/अ–70/2015–16.

.....

भूपेन्द्रकुमार पिता देवीप्रसाद जी राजावत,
निवासी ग्राम हतनारा तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम

..... आवेदक

विरूद्ध

1–बृजमोहन पिता बाबूलालजी
निवासी ग्राम हतनारा तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0सी0बसंल, अभिभाषक–आवेदक
श्री सीताराम भदौरिया, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील पिपलोदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–05–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश 3572/देवस्थान/2015 पिपलौदा दिनांक 22–12–2015 से अनावेदक कमांक 1 को खंखाई माता का मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया है । उक्त मंदिर के नाम ग्राम हतनारा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 43, 150, 420, 421, 1101, 1135, 1138, 1139, 1235, 1881, 2150 कुल

किता 11 कुल रकबा 6.125 हेक्टेयर भूमि दर्ज होकर आवेदक के कब्जे में है । अनावेदक कमांक 1 के पुजारी पद पर नियुक्त हो जाने से उक्त भूमि का कब्जा आवेदक से अनावेदक कमांक 1 को दिलाये जाने का निवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 2–5–16 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को उक्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक खंखाई माता मंदिर का वर्ष 2001 से स्थाई पुजारी होकर उनके पूर्वजों द्वारा भी उक्त मंदिर की पूजा अर्चना की जाती रही है तथा अनावेदक अतिरिक्त पुजारी नियुक्त किया गया है, इसके उपरांत भी अनावेदक को भूमि का आधिपत्य दिलाये जाने के आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि सरपंच के पति द्वारा ग्राम पंचायत में झूठी शिकायत करवाकर अपनी पत्नि के दुरूपयोग करते हुये तहसीलदार से सॉठ–गॉठ कर अनावेदक को अतिरिक्त पुजारी नियुक्त करवाया गया है । इस ओर ध्यान दिये बिना आलोच्य आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश 3572/देवस्थान/2015 पिपलौदा दिनांक 22–12–2015 से अनावेदक कमांक 1 को पुजारी नियुक्त किया गया है और आवेदक को पुजारी पद से पृथक किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को अतिरिक्त रूप से पुजारी नियुक्त नहीं कर आवेदक को पुजारी पद से पृथक कर अनावेदक को पुजारी नियुक्त किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं होने से तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मंदिर की है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर हैं । मंदिर में पुजारी की नियुक्ति केवल पूजा–अर्चना के लिये होती है न कि खेती करने के लिये। शासकीय मंदिर में भूमि का कब्जा आदेश पारित कर पुजारी को देना भविष्य के लिये वैधानिक कठिनाईयॉ उत्पन्न कर सकता है । इस प्रकरण में कलेक्टर को चाहिये कि वह मंदिर की भूमि के प्रबन्धन की अपने स्तर से पृथक से समुचित व्यवस्था करें । पुजारी को (किसी भी पक्ष के हों) भूमि का कब्जा सौंपने का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील पिपलोदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–05–2016 निरस्त किया जाता है । आदेश की प्रति कलेक्टर जिला रतलाम की ओर उचित कार्यवाही हेतु भेजी जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर